न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–531 / 17 ((RCMS No. 2017 / 00567) 18 आयुध अधिनियम 1959)

भीम सिंह पुत्र लटूरया जाति गूजर निवासी नयागॉव थाना बालघाट करौली

.........अपीलान्ट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली दिनांक 13.03.2015

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल वकील अपीलान्ट
2. सहायक अभियोजक भरतपुर

नि र्ण य **दिनांकः 20.04.2018**

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय / 15 / 1657–63 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों थाना बालघाट जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 17 पर दर्ज है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के एक ही आदेश से अपीलान्ट एवं अन्य 63 व्यक्तियों के शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बित किये है। जबकि जिला

मजिस्ट्रेट करौली को अपीलान्ट को आदेश देने से पूर्व सुनवाई का अवसर देकर अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था। जिला मजिस्ट्रेट करौली ने दिनांक 29.12.2014 को जारी किये गये आदेश के चरण संख्या 3 में यह दर्ज किया था कि ''मंदिर, कंपनीज, बैंक आदि की सुरक्षा में लगे हुऐ सुरक्षा गार्ड आदि पर यह आदेश लागू नही होगा।'' अपीलान्ट इस आदेश के पूर्व से जयपुर में प्राइवेट तौर पर टोल टैक्स एवं ओरियन्टल बैंक में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्य कर रहा था और परिवार सहित जयपुर में रह रहा था। उसने पंचायत चुनाव में कोई भी मतदान नही किया और न चुनाव के समय गांव में आया। अपीलान्ट सेवानिवृत हवलदार है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 28/62 की अवधि दिनांक 31.12.16 तक थी और अपीलान्ट ने लाइसेन्स की किसी शर्त का उलंघन नही किया है। अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपना शस्त्र एवं लाइसेन्स को दिनांक 25.03.15 को थाना बालघाट में जमा करा दिया था। जिसकी रसीद अपीलान्ट को दी गई थी। पुलिस अधीक्षक ने अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को बहाल करने की अभिशंसा की थी, फिर भी तहत न्यायालय ने अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल नही किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/15/9356–9395 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र अनुज्ञा पत्र थाने में जमा नही कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नही कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को लिखा था। जिसके आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर समाचार पत्रों की सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नही कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुऐ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356–9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नही कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश न्याय/15/1657 दिनांक 13.03.2015 से 64 अनुज्ञापत्रधरियों थाना बालघाट जिला करौली के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 17 पर दर्ज है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 64 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निरस्त किये हैं। उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नही आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत् नही होने से निरस्त किये जाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्रमांक 1657 दिनांक 13.03.2015 अपीलान्ट के क्रमांक 17 अनुज्ञापत्र सं0 28/62 की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर तार्किक, न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.05.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official